



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072026-274647
CG-DL-E-20072026-274647

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465]
No. 465]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2026/आषाढ 26, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2026/ASHADHA 26, 1948

भारतीय उपचर्या परिषद्
प्रत्याहार आदेश
नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2026

फा.सं. 18-15/सरकार/2024-आईएनसी.— समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है:—

जबकि, कर्नाटक राज्य में स्थित निम्नलिखित संस्थानों को राज्य सरकार तथा कर्नाटक नर्सिंग एंड मिडवाइव्स काउंसिल द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता दी गई थी।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने हेतु प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कमरा संख्या 105, पहली मंजिल, विकास सौदा, बेंगलूरु-560001, कर्नाटक को एक नोटिस संख्या 18-15/सरकार/2024-आईएनसी (65300) दिनांक 05.12.2024 को जारी किया गया था। दिनांक 05.12.2024 को जारी नोटिस की एक प्रति कर्नाटक नर्सिंग एंड मिडवाइव्स काउंसिल को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में, राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थानों की उपयुक्तता के संबंध में अपनी सिफारिशें परिषद् को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, निम्नलिखित संस्थानों की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को राज्य सरकार या कर्नाटक नर्सिंग एंड मिडवाइव्स काउंसिल से कोई टिप्पणी या सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। भारतीय उपचर्या परिषद् के तत्तावेज दर्शाते हैं कि ये संस्थान कई वर्षों से वैधानिक निरीक्षण के लिए आवेदन करने में विफल रहे हैं और नर्सिंग कार्यक्रम संचालित करने के लिए अपर्याप्त/अनुपयुक्त पाए गए हैं।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 11.09.2025 से, निम्नलिखित संस्थानों से मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति केवल कर्नाटक राज्य में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

संस्थानों की सूची:—

1. प्रिंसेस सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग, शाहबाद रिंग रोड, कलबुर्गी, जिला गुलबर्गा—585105 कर्नाटक (जीएनएम)
2. एसएलटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बोदिवृक्ष परिसर, चंद्रिकी रोड, गुरुमटकल, यादगीर, जिला यादगीर—585214 कर्नाटक (बी. एससी. नर्सिंग)
3. श्री तुंगभद्रा स्कूल ऑफ नर्सिंग, #42, राजा रेड्डी लेआउट, चिक्कबनवरा, बेंगलोर—560090 कर्नाटक (जीएनएम)

डॉ. टी. दिलीप कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./234/2026-27]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 17th July, 2026.

F.No. 18-15/Govt./2024 - INC.— In exercise of the powers conferred under Section 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, the following institutions located in the State of Karnataka were recognized by the State Government and the Karnataka Nurses & Midwives Council to conduct nursing courses.

Whereas, a notice no. 18-15/Govt./2024 - INC (65300) dated 05.12.2024 for withdrawal of recognition under Section 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947, was issued to The Principal Secretary (H&FW), Health and Family Welfare Department, Room No. 105, Ist Floor, VikasSouda, Bangalore-560001, Karnataka. A copy of the notice dated 05.12.2024 was also sent to the Karnataka Nurses & Midwives Council. In the notice issued, the State Government was requested to submit its recommendations to the Council regarding the suitability of the nursing institutions.

Whereas, the Council has not received any remarks or recommendation from the State Government or the Karnataka Nurses & Midwives Council regarding the suitability of the below- mentioned institutions.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. The Indian Nursing Council records show that these institutions have failed to apply for statutory inspection for several years and were found deficient/unsuitable for conducting nursing programmes.

Now therefore, the Council, exercising powers under Section 14(3)(b) of the Indian Nursing Council Act, 1947, hereby declares that with effect from 11.09.2025, **any person holding a recognized qualification from the following institutions shall be entitled to be registered only in the State of Karnataka.**

1. Princess City School Of Nursing, Shahabad Ring Road Kalaburagi, Kalaburagi, Distt.- Gulbarga, Pin Code- 585105 Karnataka (GNM)
2. Slt College Of Nursing, Bhodivruksha Campus, Chandriki Road Gurumatkal, Yadgir, Distt.- Yadgir, Pin Code- 585214 Karnataka (B.Sc Nursing)
3. Sri Tungabhadra School Of Nursing,, #42, Raja Reddy Layout, Chikkabanavara, Bangalore- 560090 Karnataka (GNM)

Dr. T. DILEEP KUMAR, President

[ADVT.-III/4/Ext./234/2026-27]